

## केरल सर्जिकल घटना में नैतिक और प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ

### प्रलम्बिस के लिये:

चिकित्सीय नैतिकता के सिद्धांत, [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#)

### मेन्स के लिये:

चिकित्सीय लापरवाही के नैतिक नहितार्थ, मानव कार्रवाई में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के एक चिकित्सक को एक बच्चे की अतिरिक्त अँगुली हटाने के बजाय त्रुटिविश जीभ की सर्जरी करने के लिये नलिंबति कर दिया गया।

- यह कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ। जीवन को खतरे में डालने के लिये चिकित्सक के वरिद्ध [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) की धारा 336 और 337 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।
- यह घटना चिकित्सा प्रोटोकॉल और नैतिकता के सख्ती से पालन करने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

## नैतिकता चिकित्सा पद्धतियों को किस प्रकार निर्देशित करती है?

- नैतिक सिद्धांत चिकित्सा पद्धतियों में मूलभूत होते हैं, जो अक्सर कानूनी आवश्यकताओं से अधिक कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रथम सिद्धांतों में शामिल हैं:
  - स्वायत्तता:** उचित सूचित सहमति प्राप्त करके अपने उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने के रोगी के अधिकार का सम्मान करना।
    - बच्चे के माता-पिता द्वारा प्रदान की गई सहमति अँगुली की सर्जरी के लिये थी, जीभ की सर्जरी के लिये नहीं, जिससे बच्चे की स्वायत्तता का उल्लंघन हुआ।
  - उपकार:** संपूर्ण सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान रोगी के स्वास्थ्य और कल्याण के सर्वोत्तम हितों में कार्य करना।
    - गलत तरीके से सर्जरी करना रोगी की आवश्यकताओं या उसके सर्वोत्तम हितों के अनुरूप नहीं है।
  - गैर-दोषपूर्ण:** रोगी को खतरों से सुरक्षित रखना, एक चिकित्सा पेशेवर जो अस्थायी या स्थायी रूप से पंजीकृत है, वह जानबूझकर लापरवाह व्यवहार में संलग्न नहीं हो सकता है जो रोगी को आवश्यक चिकित्सा उपचार तक पहुँच से वंचित कर सकता है।
    - इस घटना में बच्चे की जीभ पर एक अनावश्यक और हानिकारक प्रक्रिया की गई, जो इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है।
  - न्याय:** धर्म, राष्ट्रियता, नस्ल या सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव किये बिना, सभी रोगियों के साथ नष्पिक्ष और न्यायसंगत व्यवहार करना।
    - यह स्थिति इस प्रश्न को जन्म देती है कि क्या बच्चे के साथ उचित व्यवहार किया गया, विशेषकर चिकित्सा क्षेत्र में अपेक्षित मानकों के आलोक में।
- मथियापूर्ण शपथ:** यह नए चिकित्सा स्नातकों के लिये एक आधारशिला है और दीक्षांत समारोहों के दौरान इसका पाठ किया जाता है, जो उन्हें नैतिकता का पालन करने के लिये बाध्य करती है। **भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) वनियम, 2002 में उल्लिखित सिद्धांत** मानवता की सेवा, चिकित्सा कानूनों का पालन, जीवन के प्रति सम्मान, रोगी कल्याण प्रथमिकता, गोपनीयता, शक्तिषकों के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता का वचन देते हैं।
  - यह शपथ एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करती है, जो चिकित्सकों का चिकित्सा पेशे की सम्मानित परंपराओं और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये मार्गदर्शन करती है।

## केरल सर्जिकल घटना में कौन-से नैतिक सिद्धांत शामिल हैं?

